राजस्थान आवासन मण्डल

—: आवश्यक सूचना :—

राजस्थान आवासन मण्डल की जिला आवंटन समिति, जोधपुर की बैठक दिनांक 17.03.2016 को दोपहर 3.00 बजे कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत प्रथम, राजस्थान आवासन मण्डल सेक्टर 5 कुडी भगतासनी योजना जोधपुर में निश्चित की गई है। उक्त बैठक में (1) कुड़ी भगतासनी योजना, फेज द्वितीय, पाली रोड, जोधपुर पंजीकरण योजना, 2014 तृतीय चरण (ऑनलाईन) आर्थिक दृष्टि से कमजोर आय वर्ग (जी+3) के 512 एवं अल्प आय वर्ग (जी+3) के 128 फ्लैट (2) विवेक विहार योजना, जोधपुर पंजीकरण योजना, 2014 तृतीय चरण (ऑनलाईन) मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 55 एवं मध्यम आय वर्ग 'ब' (जी+3) के 10 फ्लैट (3) कुडी भगतासनी योजना, फेज द्वितीय, पाली रोड, जोधपुर पंजीकरण योजना, 2014 तृतीय चरण (ऑनलाईन) मध्यम आय वर्ग 'अ' (जी+3) के 48 फ्लैट का आवंटन फ्लैटों की उपलब्धता एवं वर्षवार वरीयता के आधार पर मण्डल नियमानुसार योग्य आवेदकों को वेब बेस्ड कम्प्यूटर रेण्डम प्रणाली द्वारा किया जायेगा। फ्लैट का आंवटन उन्ही आवेदको को किया जायेगा जिन्होने आरक्षण पत्र के अनुसार पूर्व ग्रहण राशि की कम से कम एक किश्त दिनांक 10.03.2016 तक जमा करवाकर चालान की सत्यापित छाया प्रति इस कार्यालय में प्रस्तुत कर देंगे। दिनांक 10.03.2016 के पश्चात जमा करवाई गई पूर्व ग्रहण राशि के आवेदकों को लॉटरी में सम्मिलित नही किया जायेगा।

—: आवंटन लॉटरी हेतु निर्धारित कार्यक्रम :—

क्र. स.	लॉटरी हेतू निर्धारित कार्यक्रम	दिनांक एंव समय	स्थान
1	आवेदकों की अस्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 01.03.2016 सांय 5.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त,रा.आ.म, वृत प्रथम,जोधपुर सेक्टर 5,बाई–पास,कुड़ी भगतासनी योजना,जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर
2	आक्षेप प्राप्त करने की अन्तिम तिथि	दिनांक 10.03.2016 सांय 6.00 बजे तक	कार्यालय उप आवासन आयुक्त,रा.आ.म, वृत प्रथम,जोधपुर सेक्टर 5,बाई–पास,कुड़ी भगतासनी योजना,जोधपुर
3	योग्य आवेदकों की स्थाई सूची का प्रकाशन	दिनांक 14.03.2016 सांय 5.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त,रा.आ.म, वृत प्रथम,जोधपुर सेक्टर 5,बाई–पास,कुड़ी भगतासनी योजना,जोधपुर के नोटिस बोर्ड पर
4	आवंटन लॉटरी की तिथी	दिनांक 17.03.2016 दोपहर 3.00 बजे	कार्यालय उप आवासन आयुक्त,रा.आ.म, वृत प्रथम,जोधपुर सेक्टर 5,बाई–पास,कुड़ी भगतासनी योजना,जोधपुर

नोटः

1. **उक्त आवंटन निर्धारण लॉटरी में पति–पत्नि व परिवार के आश्रित अन्य आवेदक के नाम से जोधपुर शहर/जोधपुर विकास प्राधिकरण/नगर निगम,जोधपुर आदि मे कोई भूखण्ड/आवास का आवंटन/पंजीकरण पाये जाने पर आवेदक का पंजीकरण/आवंटन सदैव निरस्त किये जाने योग्य होगा। जिसकी समस्त जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी।**
2. **यदि कोई आवेदक वांछित सूचना कार्यालय में नही देने के कारण प्रस्तावित लॉटरी से वंचित रहता है तो इसके लिए वह स्वयं उत्तरदायी होगा।**
3. उपलब्ध फ्लेट का आवंटन वरीयतानुसार किया जायेगा।
4. इच्छुक आवेदक निर्धारित दिनांक एवं समय पर लॉटरी कार्यक्रम में भाग ले सकतें है।
5. आरक्षण राशि जमा नही कराने से यदि वरीयता कम भंग होता हैं, एवं आवेदक फ्लेट आवंटन से वंचित रहता हैं, तो इसमें मण्डल का कोई दायित्व नही होगा।
6. सम्पति निस्तारण हेतु मण्डल निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।
7. **अस्थाई सूची एवं वरीयता लॉटरी/आवंटन लॉटरी की सूची राजस्थान आवासन मण्डल की वेबसाईट www.rhbonline.rajasthan.gov.in पर निर्धारित दिनांक से उपलब्ध रहेगी।**

उप आवासन आयुक्त
राजस्थान आवासन मण्डल
वृत प्रथम, जोधपुर